राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 366 /241/NULM/तीन/2001(SUSV)-CSVP दिनांक 03/04/2019

सेवा में,

1. सिटी प्रोजेक्ट ऑफीसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,
शहर–लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, मथुरा–वृन्दावन, मुज्जफरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, जौनपुर, सम्भल, मैनपुरी, हाथरस, रामपुर, शामली, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), एटा, कासगंज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुल्तानपुर, देवरिया, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर।
2. परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
जनपद–लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, मथुरा–वृन्दावन, मुज्जफरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, जौनपुर, सम्भल, मैनपुरी, हाथरस, रामपुर, शामली, बागपत, एटा, कासगंज, चन्दौली, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, देवरिया, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर।

विषयः–DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को जारी किये जाने वाले आई कार्ड के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत (SUSV) एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं को आई कार्ड उपलब्ध कराये जाने है। उक्त के संबंध में मुख्यालय के पत्रांक–1134 दिनांक 05.06.2018 के माध्यम से आई कार्ड का प्रारुप जारी किया गया है।

जारी 03/04/19

उक्त पत्र के द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र के पिछले हिस्से में पथ विक्रेताओं हेतु अंकित किये जाने वाले सामान्य निर्देश भी संलग्न किये गये है, यह सामान्य निर्देश सुझावनात्मक है जिसमें नागर निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। अब प्रिन्ट किये जाने वाले आई कार्डों में सामान्य निर्देशों में **"प्रतिबन्धित पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करेंगे, यह दंडनीय है"** को भी सामान्य निर्देश अंकित किया जाये। साथ ही साथ शहरी पथ विक्रेताओं को उपलब्ध कराये जाने वाले आई कार्ड को लगाने हेतु एक छिद्र एवं हुक अनिवार्य रुप से लगाया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

ओ/ (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि–

1. संबंधित परियोजना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वितरण के समय पथ विक्रेताओं को अवगत करायें कि आई कार्ड हमेशा लगा के रखें।
2. संबंधित एजेन्सियों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये।

ओ/ (उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226027
e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक 1134/241/ NULM/तीन/2001(SUSV)-CSVP दिनांक 05/06/2018

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   जनपद– सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, फैजाबाद, मथुरा, मुज्फ्फरनगर, मऊ, बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल एवं जौनपुर।
2. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
   जनपद– सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, अयोध्या, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल एवं जौनपुर।

विषयः–उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण एवं पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने और परिचय पत्र का प्रारुप उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा पथ विक्रय अधिनियम, 2014 दिनांक 04.03.2016 को अधिसूचित किया गया है। प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण) और पथ विक्रय विनियम नियमावली 2017, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अधिसूचित किया गया है।

उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के नियम–13 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं को पंजीकरण, नियमावली 2017 में दिये गये प्रपत्र–2 पर किया जाना है और नियम–14 के अन्तर्गत पंजीकृत पथ विक्रेताओं को प्रपत्र–3 पर दिये गये प्रारुप पर विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के नियम–22 के अन्तर्गत सभी पंजीकृत पथ विक्रेताओं को टी0वी0सी0 द्वारा प्राधिकृत नगर निकाय के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिचय पत्र (नियमावली 2017 के प्रपत्र–7 के अनुसार) निर्गत किया जाना है।

पथ विक्रेताओं को निर्गत किये जाने वाले परिचय पत्र का प्रारुप इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि तद्नुसार शहरी पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र निर्गत किये जाये। परिचय पत्र के पिछले हिस्से में पथ विक्रेताओं हेतु अंकित किये जाने वाले सामान्य निर्देश भी संलग्न है, यह सामान्य निर्देश सुझावनात्मक है, जिसमें नगर निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

नियमावली 2017 के अनुसार सभी सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं का पंजीकरण एवं पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र जारी किये जाने है। शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से एजेन्सियों के चयन हेतु उपलब्ध कराये गये मॉडल निविदा के TOR के 3.4 बिन्दु के अनुसार "Such identity cards & Licence has to be given to the street vendors after approval & in the manner prescribed by the cometent authority".

इस प्रकार शहरों में कार्य कर रही एजेन्सियों के द्वारा आई कार्ड एवं पथ विक्रय प्रमाण पत्र तैयार कर संबंधित नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाना है।

शहरी पथ विक्रेताओं को निर्गत किये जाने वाले पथ विक्रेताओं का पंजीकण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र जारी किये जाने आदि के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2018 को समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये है कि अतिशीघ्र सभी सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पंजीकरण के पश्चात् पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न परिचय पत्र के प्रारुप पर परिचय पत्र जारी किये जाये। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि वेडिंग जोनों का निर्धारण यथा शीघ्र कराया जाये। पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र जारी किये जाने हेतु वेडिंग जोनों पर कैम्प लगाकर कार्यवाही की जाये।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों में शामिल है, जिसका निरन्तर उच्च स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। अतः कैम्प लगाकर पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही शासन की अपेक्षानुसार प्रत्येक दशा में 01 माह के अन्दर पूर्ण कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को इस आशय से कि समस्त नगर निकायों को अपने स्तर से निर्देशित करने का भी कष्ट करें।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
5. संबंधित एजेन्सियॉ।
6. सहायक वेबमास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

शहरी पथ विक्रेताओं हेतु परिचय पत्र का प्रारूप

नगर निकाय का लोगो

निकाय का नाम.....

शहरी पथ विक्रेता का परिचय–पत्र

पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रेता विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 6(3) के अन्तर्गत

क्रमांक.....

6. पथ विक्रेता कोड सं0–.....
7. पथ विक्रेता का नाम..... पुत्र/पति.....
8. पता.....
9. टेलीफोन/मोबाइल नं0.....
10. व्यवसाय की प्रकृति.....
7. श्रेणी (स्थिर/चल/साप्ताहिक बाजार का पथ विक्रेता).....
8. पथ विक्रय का स्थान/वेंडिग जोन–.....
9. पथ विक्रय की अवधि –.....से .....तक
10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.....
11. परिवार के सदस्यों के नाम.....
12. वैधता– निर्गत हाने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य।

दिनांकः–.....

पासपोर्ट साइज का अद्यतन रंगीन फोटो

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय पथ विक्रय समिति

शहरी पथ विक्रेताओ हेतु निर्देश

- पथ विक्रेता परिचय पत्र हमेशा अपने पास रखें।
- फेरी हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर ही फेरी लगाएं।
- फेरी हेतु निर्धारित स्थान को किसी और को फेरी हेतु न दे।
- फेरी के समय यातायात अवरूध नही हो इसका ध्यान रखें।
- फेरी के स्थान को साफ सुथरा रखे।
- खान पान से संबंधित वस्तुओं कों ढक कर रखें।
- पथ विक्रेता स्वयं की साफ–सफाई का ध्यान रखे।
- नगर निकाय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।
- समय से पंजीकरण एवं वेडिंग शुल्क जमा करें।
- समय से पंजीकरण एवं परिचय पत्र का नवीनीकरण करायें।
- नगर निकाय/जॉचकर्ता द्वारा मागें जाने पर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करें।